

संख्या: 14/15/59

तिथि: 02/02/2023

पावती समय: 04:36 PM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

तारांकित प्रश्न

विषय नगर पालिका समालखा की अधिकतर कॉलोनी Regulise (नियमित नहीं है)

सूचना प्राप्ति दिनांक 02/02/2023

मंत्री:

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में

प्राथमिकता, यदि कोई हो

प्रेषक:

श्री धर्मसिंह छोकर(27), सदस्य

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधान सभा

Delhi-1

महोदय,

देता हूँ जिसका उत्तर

भवदीय,

श्री धर्मसिंह छोकर(27)

सदस्य

02/02/2023 04:36 PM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम:27 समालखा

प्राथमिकता क्रम :-

* बतलाने की कृपा करेंगे :

नगर पालिका समालखा की अधिकतर कॉलोनी Regulise (नियमित नहीं है)। जिसके कारण शहर में विकास कार्य में हमेशा बाधा बनी रहती है। मेरे समालखा नगर पालिका में 17 कॉलोनी नियमित नहीं है। जो की निम्नलिखित है।

दुर्गा कॉलोनी, नई दुर्गा कॉलोनी, सीता राम कॉलोनी, गाँधी कॉलोनी के पीछे वाला हिस्सा एवं विकास नगर (पूर्वी हिस्सा), तारा एन्क्लेव, मयूर विहार से पावटी गांव तक, प्रीतमपुरा नजदीक रेलवे लाईन, शास्त्री कॉलोनी चुलकाना रोड, सांशी कॉलोनी लाईन पार, हनुमान बस्ती लाईन पार, भरत कॉलोनी लाईन पार, राजस्थान कॉलोनी लाईन पार, राजीव कॉलोनी लाईन पार, चरक कॉलोनी जौरासी रोड, ऑफिसर कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा, पंचवटी कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा, शास्त्री कॉलोनी नजदीक भापरा गांव। उपरोक्त विषय पर समालखा नगर पालिका का दायरा भी बढ़ाना होगा, ताकि उपरोक्त कॉलोनी नियमित हो सके। हुड्डा सरकार ने वर्ष 2017 में शहर की लिमिट एक्सटेंड करने की घोषणा की थी। जोकि अभी तक पूरी नहीं हुई। सरकार द्वारा यह घोषणा कब तक पूरी होगी।